सं० ओ०वि०/एफ०डी०/92-86/41896.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० फरीदाबाद फोरजिंग प्रा० लि०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री चन्द्र नारायण, पुत्र श्री सियाराम गांव दहियार, डा० भाया बहेड़ी, जिला समातीपुर (बिहार) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री चन्द्र नारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ.डी./133-86/41904.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० माडर्न मशीन टूल्ज 5-डी/119, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रामनरेश जेसवाल ईस्ट इण्डिया कालोनी, सैक्टर 22, मकान नं० 147, फरीदाबाद तथा उस के प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रामनरेश जैसवाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/126-86/41911.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पोरिटस एण्ड स्पेन्सर (एशियता) लि०, प्लाट नं० 113-114, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सुखबीर सिंह, पुत्र श्री रामचन्द्र संजय कालोनी (एलसन काटन मिल के सामने) बल्लभगढ़, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सुखबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/150-86/41918—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० इण्डियन एल्युमिनियम कैबल्ज लि०, 12/1, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री शिव बच्चन यादव, पुत्र श्री रामदेव यादव पटकनिया, जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) तथा उसके प्रबन्धकों के इस मध्य में इसके बाद लिखित मामले के सम्मबन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामलें हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री शिव बच्चन यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?